प्र.सं. 36 / दावा / प्रार्थ. / 2023

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादी का स्वास्थ्य खराब होने से बहस करने में असमर्थता व्यक्त करने से बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि० 8/2/24 को पेश हो।	
8/2/24	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है एवं अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 15/2/24 को पेश हो। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की। जो शा० पत्रा० की गई।	
14/2/24	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। एवं अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 21/2/24 को पेश हो	
21/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 6/3/24 को पेश हो।	
6/3/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 12/3/24 को पेश हो।	
12/3/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी अस्वीकार की जाकर खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह (R.A.S)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
06/दावा/2022	24.01.2022	15.03.2024

चन्द्रकला आयु 52 वर्ष पत्नि श्यामबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

.....वादी

बनाम

1. दानमल आ0 भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी मृतक के कायम मुकामान
   1/1. द्वारकाबाई पुत्री दानमल पत्नि हरीशचन्द जाति ब्राहम्ण नि0 सांगोद तह0 सांगोद
   1/2. राजेश पुत्री दानमल पत्नि श्यामसुन्दर जाति ब्राहम्ण नि0 कोटा
2. देवीशंकर आ0 दानमल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी मृतक द्वारा
   2/1. श्रीमति कला विधवा श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह0 तालेडा
   2/2. श्रीमति राजू पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि0 सुंवासा तह0 तालेडा
   2/3. रिंकू पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि0 सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी
   2/4. शालु पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि0 सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी
   2/5. श्री गोरव पुत्र श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि0 सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी
3. द्वारकालाल आ0 दानमल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी
4. जगदीश आ0 द्वारकालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह0 तालेडा जिला बून्दी
5. गिरजाशंकर आ0 देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा जर्ये संरक्षक पिता देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा
6. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नि भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी
   6/1. रामकिशन शर्मा पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के0पाटन
   6/2. विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के0पाटन
   6/3. गीता बाई पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के0पाटन
   6/4. भैरूलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह0 के0पाटन
   6/5. अनुराग शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह0 के0पाटन
   6/6. आशीष शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह0 के0पाटन
   6/7. विमला बाई पत्नि हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह0 के0पाटन
7. भूलीबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नि बद्रीलाल ब्राहम्ण नि0 अरण्डखेडा तह0 लाडपुरा कोटा

राजस्थान राज्य बनाम तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी।
श्रीमति स्नेहा पुत्री स्वतंत्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 2 बी 1 रंगबाड़ी विस्तार योजना कोटा तह0 लाडपुरा कोटा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण:- श्री रविदत्त शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी:- श्री रमेश चन्द्र जैन

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89 व 183 आरटी एक्ट

इस न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 रा0टी0एक्ट में वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिनी की माता बदीबाई व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 व 9 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 1585 रकबा 12.15 बीघा, ख0सं0 1622 रकबा 11.14 बीघा, ख0सं0 1677 रकबा 09.18 बीघा, ख0सं0 1682 रकबा 05.19 बीघा, ख0सं0 1918 रकबा 02.16 बीघा, ख0सं0 1999 रकबा 10.16 बीघा, ख0सं0 2355 रकबा 04.15 बीघा, ख0सं0 83 रकबा 00.15 बिस्वा, ख0सं0 297 रकबा 01.17 बीघा, ख0सं0 313 रकबा 03.08 बीघा, ख0सं0 333 रकबा 13 बिस्वा, ख0सं0 1153 रकबा 01.01 बीघा, ख0सं0 1159 रकबा 02.19 बीघा, ख0सं0 1161 रकबा 01.10 बीघा, ख0सं0 1162 रकबा 5 बिस्वा, ख0सं0 1166 रकबा 1.10 बीघा, ख0सं0 1169 रकबा 04.15 बीघा, ख0सं0 1178 रकबा 04.05 बीघा, ख0सं0 1670 रकबा 07.07 बीघा, ख0सं0 1865 रकबा 01.15 बीघा, ख0सं0 1938 रकबा 17 बिस्वा, ख0सं0 1942 रकबा 07.01 बीघा, ख0सं0 2105 रकबा 01.01 बीघा, ख0सं0 2164 रकबा 03.04 बीघा, ख0सं0 2309 रकबा 04 बीघा, ख0सं0 2320 रकबा 03.08 बीघा, ख0सं0 591 रकबा 10.14 बीघा, ख0सं0 1434 रकबा 04.13 बीघा, ख0सं0 2273 रकबा 15.07 बीघा, ख0सं0 2275 रकबा 08.16 बीघा, ख0सं0 2301 रकबा 16.10 बीघा, ख0सं0 1894 रकबा 08.02 बीघा, ख0सं0 582 रकबा 06.07 बीघा, ख0सं0 608 मिन रकबा 01 बिस्वा, ख0सं0 584 रकबा 14.05 बीघा, ख0सं0 1583 रकबा 06.08 बीघा, ख0सं0 1616 रकबा 18.01 बीघा, ख0सं0 1862 रकबा 08.06 बीघा, ख0सं0 1870 रकबा 04.05 बीघा, ख0सं0 2322 रकबा 02.17 बीघा, ख0सं0 2021 रकबा 11.13 बीघा, ख0सं0 2316 रकबा 04.04 बीघा, ख0सं0 2318 रकबा 04.10 बीघा कुल किता 45 कुल रकबा 268 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा में विस्थित है। जिसमें वादिनी की माता बदीबाई का 1/7 हिस्सा निहित है।

वादीनी की माता बदी बाई, पुष्पा बाई, भुली बाई, शांति बाई भवानी शंकर जी की पुत्रिया हैं तथा दानमल भवानी शंकर का पुत्र एवं देवी शंकर द्वारकालाल भवानी शंकर के पौत्र हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि भवानी शंकर जी की भूमि थी। भवानीशंकर जी का देहान्त सन् 1958 में होने के पश्चात् वादीनी की माता वाद वर्णित आराजी में 1/7 हिस्से की सहखातेदार हैं, जिस पर बदी बाई का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। बदी बाई अपने 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपज का लाभ लेती रही हैं। वादीनी की माता बदी बाई का देहान्त दिनांक 29/07/2001 को हो जाने के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् बदी बाई की 1/7 हिस्से की मालिक व सहखातेदार वादीनी बन गई हैं। वादीनी की माता बदी बाई के देहान्त पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की माता के 1/7 हिस्से पर नाजायज कब्जा कर लिया हैं एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने चुपचाप गलत तरीके से वादीनी की माता के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि का इंतकाल संख्या-1476 दिनांक 06/08/2001 से अपने नाम खुलवा लिया हैं, जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अपने 1/7 हिस्से की भूमि का बंटवारा करने व जमीन पर कब्जा छोडने को कहा तो उन्होने बंटवारा करने से मना करते हुऐ जाहिर किया कि वादीनी की माता ने अपने 1/7 हिस्से की कृषि भूमि की वसीयत प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित कर दी हैं। वादीनी स्वर्गीय बदी बाई की वैधानिक पुत्री होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारी हैं, जिसके तहत् वादीनी मृतक बदी बाई की भूमि 1/7 हिस्से पर काबिज रहने की अधिकारी हैं। वादीनी की जीवित अवस्था में बदी बाई को प्रतिवादी 1 लगायत 5 के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी बदी बाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं हैं, यह कृषि भूमि पोराणीक सम्पत्ति होने से बदी बाई वसीयत नहीं कर सकती हैं। गत् 03 वर्षो से बदी बाई बीमार होने के कारण उनके सोचने-समझने की क्षमता नहीं थी। वादीनी को अधिकार प्राप्त हैं कि उपरोक्त वाद वर्णित आराजी में 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावें एवं बंटवारा कर बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिया जावें। वादीनी की माता की सगी बहिन शांति बाई ने अपने 1/7 हिस्से का

रण प्रतिवादीगण देवीशंकर को 174/5367, द्वारकालाल को 233/5367, जगदीश व गिरिराज को 5367 के रूप में कर दिया। हिस्सा हस्तान्तरण करने से द्वारकालाल का कुल 1/7+233/5367, देवीशंकर का +174/5367 एवं जगदीश व गिरिराज का 360/5367 हिस्सा हो गया हैं। उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुऐ दी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्ना आशय की डिक्री पारित कर वादीनी को 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर भूमि का विधिवत् बंटवारा कर स्वतंत्र कब्जा दिलवाया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी दानमल, देवीशंकर, द्वारकालाल, जगदीश ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बद्री बाई चन्द्रकला की माता होना स्वीकार हैं किन्तु वादीनी का उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई हक नहीं हैं। वाद पत्र में जिस भूमि का उल्लेख किया गया हैं उसके खातेदार श्री संन्तोख जी थे, जिनके देहान्त उपरान्त उक्त कृषि भूमि श्री भवानीशंकर जी के खाते बहैसियतकर्ता सयुंक्त हिन्दू परिवार अंकित की गई। इस कृषि भूमि में भवानीशंकर जी के पुत्र दानमल का जन्म से ही हित निहित हो गया था। संयुक्त पारिवारिक पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण दानमल और भवानीशंकर जी का बराबर हक था। भवानी शंकर जी के देहान्त उपरान्त 1/2 हिस्से के उत्तराधिकारी दानमल तथा पुत्रिया बद्री बाई, पुष्पा बाई, भूली बाई, शांति बाई, सोभाग बाई तथा पत्नि श्रीमती रामनाथी बनी। इस प्रकार 1/14 हक बद्री बाई का बनता हैं। बद्री बाई को उनके पति द्वारा त्याग देने के पश्चात् 42 वर्ष से बद्री बाई अपने पीहर में निवासरत् थी, जिनका पालन पोषण दानमल एवं दानमल के पुत्र व पोत्र ही करते थे। जिससे खुश होकर बद्री बाई ने अपनी अंतिम वसीयतनामा दिनांक 20/02/2001 द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दानमल तथा देवी शंकर, द्वारकालाल, जगदीश, गिरिजाशंकर को बनाया गया। उक्त वसीयत रजिस्टर्ड हैं, जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त व्यक्तियों के खाते में भूमि अंकित हुई। उक्त कृषि भूमि पर हमेशा से ही दानमल का ही कब्जा रहा हैं। शांति बाई के हक की भूमि के वर्तमान खातेदार देवीशंकर, द्वारकालाल, जगदीश व गिरिजाशंकर हैं। दावा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावें।

प्रतिवादी भूली बाई द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत निवेदन किया गया कि वाद पत्र में बद्री बाई वादीनी की माता कैसे हैं, यह स्पष्ट नहीं किया हैं। वादीनी ने अपने पिता का नाम अंकित नहीं किया जो बहुत आवश्यक हैं। बद्री बाई ने अपना हिस्सा हस्तान्तरण कर दिया हैं, इसलिए वादीनी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता हैं। वादीनी को बंटवारा करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। बंटवारा का दावा सिविल न्यायालय में खारीज हो गया हैं, इसलिए रेसज्यडिकेटा का प्रभाव होने से धारा–11 जा0दी0 के नहीं चल सकता। बद्री बाई का विवाह श्री कन्हैयालाल निवासी के0पाटन के साथ किया था, जो जिन्दा हैं किन्तु उनके दो सन्तान होने के बाद उन्होने बद्री बाई को त्याग करके दूसरी शादी ग्राम लेसरदा में कर ली थी, जो इस वक्त मौजूद हैं। बद्री बाई के पुत्र की पत्नि, लडकिया व उसके स्थान पर शादी होकर आने वाली व पति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं। वाद में अदम शमूली फरीकेन का नुक्स होने से वाद खारीज होने योग्य हैं। पत्नि को त्याग होने के बाद पति व सन्तान का कोई अधिकार नहीं हैं, बद्री बाई ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरण कर दी हैं। इसलिए दावा खारीज योग्य हैं। वाद वादी खारीज फरमाया जावें।

प्रतिवादी गिरिजाशंकर द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत निवेदन किया गया कि वाद पत्र में जिस भूमि का उल्लेख किया गया हैं उसके खातेदार श्री सन्तोष जी थे, जिनके देहान्त उपरान्त उक्त कृषि भूमि श्री भवानीशंकर जी के खाते बहैसियतवर्ता सयुंक्त हिन्दू परिवार अंकित की गई। इस कृषि भूमि मे भवानीशंकर जी के पुत्र दानमल का जन्म से ही हित निहित हो गया था। संयुक्त पारिवारिक पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण दानमल और भवानीशंकर जी का बराबर हक था। भवानी शंकर जी के देहान्त उपरान्त 1/2 हिस्से के उत्तराधिकारी दानमल तथा पुत्रिया बद्री बाई, पुष्पा बाई, भूली बाई, शांति बाई, सोभाग बाई तथा पत्नि श्रीमती रामनाथी बनी। इस प्रकार 1/14 हक बद्री बाई का बनता हैं। बद्री बाई को उनके पति द्वारा त्याग देने के पश्चात् 42 वर्ष से बद्री बाई अपने पीहर में निवासरत् थी, जिनका पालन पोषण दानमल एवं दानमल के पुत्र व पोत्र ही करते थे। जिससे खुश होकर बद्री बाई ने अपनी अंतिम वसीयतनामा दिनांक 20/02/2001 द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दानमल तथा देवी शंकर, द्वारकालाल, जगदीश, गिरिजाशंकर को बनाया गया। उक्त वसीयत रजिस्टर्ड हैं, जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त व्यक्तियों के खाते में भूमि अंकित हुई। उक्त कृषि भूमि पर हमेशा से ही दानमल का ही कब्जा रहा हैं। शांति बाई के हक की भूमि के वर्तमान खातेदार देवीशंकर, द्वारकालाल, जगदीश व गिरिजाशंकर हैं। दावा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावें।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर दिनांक 07/08/2006 को निम्न तनकीयात् कायम की गई–

2. आया वादीनी उनके हिस्से में आने वाली 1/7 हिस्से की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

--वादी

3. आया स्वर्गीय श्रीमती बद्री बाई (वादीनी की माँ) परित्याग करके श्री कन्हैयालाल द्वारा अन्य शादी करने से विवादित भूमि पर कोई हिस्सा निहित हैं?

--प्रतिवादी

4. आया बद्री बाई को पुत्र वधु एवं लडकियों को पक्षकार नहीं बनाने से वाद चलने योग्य नहीं हैं?

--प्रतिवादी

5. आया स्वर्गीय बद्री बाई द्वारा अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने से वाद खारीज योग्य हैं?

--प्रतिवादी

6. अनुतोष ?

वादीनी ने अपने बयानो में अंकित किया कि वादीनी की माता बद्री बाई, पुष्पा बाई, भुली बाई, शांति बाई भवानी शंकर जी की पुत्रिया हैं तथा दानमल भवानी शंकर का पुत्र एवं देवी शंकर द्वारकालाल भवानी शंकर के पौत्र हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि भवानी शंकर जी की भूमि थी। भवानीशंकर जी का देहान्त सन् 1958 में होने के पश्चात् वादीनी की माता वाद वर्णित आराजी में 1/7 हिस्से की सहखातेदार हैं, जिस पर बद्री बाई का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। बद्री बाई अपने 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपज का लाभ लेती रही हैं। वादीनी की माता बद्री बाई का देहान्त दिनांक 29/07/2001 को हो जाने के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् बद्री बाई की 1/7 हिस्से की मालिक व सहखातेदार वादीनी बन गई हैं। वादीनी की माता बद्री बाई के देहान्त पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की माता के 1/7 हिस्से पर नाजायज कब्जा कर लिया हैं एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने चुपचाप गलत तरीके से वादीनी की माता के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि का इंतकाल संख्या–1476 दिनांक 06/08/2001 से अपने नाम खुलवा लिया हैं, जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अपने 1/7 हिस्से की भूमि का बंटवारा करने व जमीन पर कब्जा छोडने को कहा तो उन्होने बंटवारा करने से मना करते हुऐ जाहिर किया कि वादीनी की माता ने अपने 1/7 हिस्से की कृषि भूमि की वसीयत प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित कर दी हैं। वादीनी स्वर्गीय बद्री बाई की वैधानिक पुत्री होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारी हैं, जिसके तहत् वादीनी मृतक बद्री बाई की भूमि 1/7 हिस्से पर काबिज रहने की अधिकारी हैं। वादीनी की जीवित अवस्था में बद्री बाई को प्रतिवादी 1 लगायत 5 के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी बद्री बाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं हैं, यह कृषि भूमि पोराणीक सम्पत्ति होने से बद्री बाई वसीयत नहीं कर सकती हैं। गत् 03 वर्षो से बद्री बाई बीमार होने के कारण उनके सोचने–समझने की क्षमता नहीं थी। मुझे मेरी माता के 1/7 हिस्से की भूमि कब्जे में सम्भलायी जावें। वादीनी ने साक्ष्य में नकल जमाबंदी खाता संख्या–156 वाके ग्राम सुवासा सम्वत् 2056 से 2059 में एक्जीविट–1 करवायी गई। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई जिसमें वादीनी ने बताया की मेरी माता के पिता जी भवानी शंकर जी के पिता सन्तोष जी थे। उक्त वाद वर्णित आराजी सन्तोष जी से मेरी माता के पिता भवानीशंकर जी को आयी हैं, जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी हैं। मेरी शादी करीब 50 वर्ष पूर्व ललहेडा तहसील सांगोद में हुई हैं। मेरे पिता जी का नाम कन्हैयालाल जी हैं जिन्होने पहली शादी मेरी माता बद्री बाई से की थी, बद्री बाई के जीवित रहते ही दूसरी शादी अयोध्या बाई ग्राम लेसरदा से की। मेरे पिता जी ने मेरी माता को घर से निकाल देने के पश्चात् मेरे मामा दानमल जी के पास ही रही और मामा के पास ही ग्राम सुवासा में उनका देहान्त हुआ। कन्हैयालाल जी ने जब मेरी माता जी को घर से निकाला तब में 6–7 साल की थी। शादी के बाद मैं साल भर में एक बार मेरी माता से मिलने आती थी। जमीन मैं जब छोटी थी तब देखी थी मुझे पडौसी याद नहीं हैं ना ही उक्त भूमि वर्तमान में दानमल जी व दानमल जी के पुत्र किनसे काश्त करवाते हैं, इसकी जानकारी नहीं हैं। भवानी शंकर जी के देहान्त पश्चात् समस्त भूमि दानमल जी ही काश्त करते हैं। मेरी माँ बद्री बाई अंगुठा करती थी। प्रदर्श–बी–1 पर X स्थान पर मेरी माता जी का फोटो हैं। Y स्थान पर दानमल जी का फोटो हैं। देहान्त के 12 माह पूर्व मैं अपनी माता बद्री बाई से मिली थी तब उसने मुझ से अच्छी तरह से बाते की। मेरी माता जी ने वसीयत प्रदर्श–डी–1 की लिखा पढ़ी की हो मुझे जानकारी में नहीं हैं ना ही उस वसीयत की रजिस्ट्री की जानकारी हैं। मेरे ससुराल में 100 बीघा जमीन हैं। उसको मैने बच्चो को नहीं दी पति ने दी हो याद नहीं, जिरह समाप्त की गई।

प्रतिवादी की और से दानमल आ0 भवानीशंकर, द्वारकालाल आ0 दानमल, भगवान गोस्वामी आ0 रामशंकर व नरेन्द्रपुरी आ0 रामनारायण पुरी के साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किये, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

डी.डब्ल्यू–1 द्वारका लाल आ0 दानमल निवासी ग्राम सुवासा ने अपने सशपथ–पत्र में निवेदन किया कि मेरे पूर्वज श्री सन्तोष जी उक्त वाद विषयक भूमि के खातेदार थे, जिनके देहान्त पश्चात् मेरे पितामह भवानीशंकर जी बहैसियत कर्ता खानदान खातेदार अंकित हुऐ। भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि होने से मेरे पितामह भवानीशंकर जी व मेरे पिता दानमल जी का बराबर हिस्सा था। भवानी शंकर जी का देहान्त सन् 1958 में हो चुका हैं, उनके हिस्से की 1/2 भूमि दानमल जी व 1/2 हिस्से के मालिक मेरी बुंआ बद्री बाई, पुष्पा बाई, भूली बाई, शांति बाई, सोभाग बाई तथा मेरी दादी रामनाथी बनी। इस प्रकार 1/14 हिस्सा बद्री बाई का बनता हैं। बद्री बाई का देहान्त

29/07/2001 को हो चुका हैं। बद्री बाई को उनके पति द्वारा त्याग करने के पश्चात् से लगभग 42 वर्षो से पास रह रही हैं, जिनकी सेवा-सुश्रुषा मैं और मेरे पिता दानमल जी द्वारा की गई बद्री बाई ने विशेष स्नेह होने उनके हिस्से की समस्त सम्पत्ति को अंतिम वसीयत दिनांक 20/02/2001 से मेरे पिता तथा मेरे भाई देवी शंकर मुझ द्वारकालाल तथा मेरे पुत्र जगदीश व भाई के पुत्र गिरिजाशंकर को रजिस्टर्ड कर दी, जो कि बद्री बाई ने स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि स्वैच्छा से गवाहान नरेन्द्र पुरी व भगवान गोस्वामी के समक्ष अंगुठा निशानी कर जर्य अभिभाषक योगेश जोशी से करवायी थी। इस प्रकार वसीयत के माध्यम से बद्री बाई की भूमि हमारे खाते दर्ज हुई, जिस पर बद्री बाई का कोई हक अधिकार नहीं हैं। बद्री बाई के पुत्र स्वतंत्र कुमार की मृत्यु हो चुकी हैं, उनकी पुत्रिया सपना व प्रेम हैं तथा विधवा कृष्णा कुमारी हैं प्रतिवादी हैं। बद्री बाई के देहान्त के पश्चात् उनके उत्तराधिकारीयो का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। जिरह से पूर्व शपथ दिलाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जिसमें वसीयतनामा पर प्रदर्श-डी-1 अंकित किया, जिस पर बद्री बाई के अंगुठा निशानी A to B हैं। गवाह नरेन्द्र पुरी के C to D स्थान पर व गवाह भगवान गोस्वामी के E to F स्थान पर हस्ताक्षर हैं। सन्तोष जी के खाते की नकल प्रदर्श-डी-2 हैं। यह जमीन हमारे पूर्वजों की पैत्रक सम्पत्ति हैं। वसीयत के पश्चात् यह जमीन हमारे खाते लगी, जिसकी जमाबंदी प्रदर्श-डी-3 हैं। जिरह में अवगत करवाया कि वाद विषयक भूमि 268 बीघा हैं, वसीयतनामें में वर्णित भूमि ग्राम सुवासा की हैं, जो भवानीशंकर जी के पिता से आयी। वाद विषयक भूमि का भी सिलिंग का केस था, जिसमें बद्री बाई व अन्य उत्तराधिकारी पक्षकार थे व युनिट्स बने थे। यह कहना गलत हैं कि बद्री बाई काश्त करती थी, काश्त सदैव हमने ही की हैं। यह कहना भी गलत हैं कि बद्री बाई वसीयत लिखाते समय बीमार थी व स्वस्थ चित्त थी एवं स्वैच्छा से वसीयत लिखवाई व वकील साहब ने वसीयत को पढ़कर सुनाया तत्समय मैं वही था।

गवाह भगवान गोस्वामी आ0 रामशंकर गोस्वामी निवासी ग्राम सुवासा का शपथ-पत्र डी-डब्ल्यू-2 हैं। उक्त शपथ-पत्र में भगवान गोस्वामी ने स्वीकार किया हैं कि बद्री बाई दानमल जी के पास ही रही हैं एवं बद्री बाई दिनांक 20/02/2001 को अंतिम वसीयत लिखवायी थी, जिस पर गवाह के रूप में मैरे हस्ताक्षर अंकित हैं, जो E to F स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह वसीयत अभिभाषक योगेश जोशी ने बून्दी में मेरे सामने लिखवायी थी, जिसकी रजिस्ट्री उप तहसील तालेडा जिला बून्दी में हुई, तत्समय सभी व्यक्ति व बद्री बाई उपस्थित थी। दौराने जिरह शपथ-पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया।

गवाह नरेन्द्र पुरी आ0 रामनारायण पुरी निवासी ग्राम सुवासा का शपथ-पत्र डी-डब्ल्यू-3 हैं। उक्त शपथ-पत्र में में नरेन्द्र गोस्वामी ने स्वीकार किया हैं कि बद्री बाई दानमल जी के पास ही रही हैं एवं बद्री बाई दिनांक 20/02/2001 को अंतिम वसीयत लिखवायी थी, जिस पर गवाह के रूप में मैरे हस्ताक्षर अंकित हैं, जो C to D स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह वसीयत अभिभाषक योगेश जोशी ने बून्दी में मेरे सामने लिखवायी थी, जिसकी रजिस्ट्री उप तहसील तालेडा जिला बून्दी में हुई, तत्समय सभी व्यक्ति व बद्री बाई उपस्थित थी। बद्री बाई स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि थी, उनके सोचने समझने की पूरी शक्ति थी, बद्री बाई ने अपनी स्वैच्छा से दानमल जी व उनके पुत्रो व पोत्रो की सेवा प्रसन्न होकर उनके पक्ष में वसीयत करवायी थी। दौराने जिरह शपथ-पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया।

गवाह योगेश जोशी आ0 गजानन्द जाति ब्राम्हण निवासी बून्दी का शपथ-पत्र डी-डब्ल्यू-4 हैं। उक्त शपथ-पत्र में में योगेश जोशी ने स्वीकार किया हैं कि बद्री बाई दिनांक 20/02/2001 को अंतिम वसीयत लिखवायी थी, जो कि दिनांक 20/02/2001 को बद्री बाई तथा उनके साथ दानमल जी, देवीशंकर, द्वारकालाल, जगदीश, गिरिजाशंकर, नरेन्द्रपुरी तथा भगवान गोस्वामी निवासी ग्राम सुवासा भी साथ थे, तब बद्री बाई ने भंवरलाल जी मुंशी व मुझ से अपनी वसीयत करवाने हेतु कहा तब मैने उक्त वसीयत मेरे द्वारा लिखवायी जाकर मैरे द्वारा सभी के सामने उक्त वसीयत को पढकर सुनवाई गई, जिसे बद्री बाई ने सभी के सामने स्वीकार करते हुऐ स्वयं बद्री बाई ने अपना अंगुष्ठ निशानी की व गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मैने ड्राफट करना अंकित कर हस्ताक्षर किये। दौराने जिरह योगेश जोशी ने वसीयत प्रदर्श-डी-1, टाईपिस्ट हरिशंकर से करवाना स्वीकार किया हैं। तत्समय बद्री बाई स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि थी, उनके सोचने समझने की पूरी शक्ति थी, बद्री बाई ने अपनी स्वैच्छा से दानमल जी व उनके पुत्रो व पोत्रो की सेवा प्रसन्न होकर उनके पक्ष में वसीयत करवायी थी।

दौराने बहस वकील वादी ने अवगत करवाया कि वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम सुवांसा में कुल कृषि भूमि 268 बीघा 7 बिस्वा में स्थित होना एवं उसमें वादीनी की माता बद्री बाई का हिस्सा निहित होना अकिंत है जिसका समर्थन जमाबंदी सम्वत् 2056-2059 में राजस्व वाद में अकिंतहै। वाद विषयक कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो मूल पुरूष पुरूष भवानीशंकर जी से प्राप्त हुई है भवानी शंकर जी के 4 पुत्रिया एवं 1 पुत्र दानमल पैदा हुये। भवानीशंकर जी की मृत्यु 1958 मे हुई। इस प्रकार वादीनी उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बद्री बाई हिस्सा 1/7 के जीवित प्राकृतिक उत्तराधिकारी चन्द्रकला वादीनी रही है। वादीनी की माता देहान्त दिनांक 29.07.2001 को हो चुकी है। इस प्रकार माता बद्रीबाई के मरने के बाद उसकी पूत्री चन्द्रकला वारदीनी बद्री बाई माता के 1/7 हिस्से की मालिक व सहखातेदार बन गई। इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या-1 में वर्णित कृषि भूमि की वादीनी 1/7 हिस्से की सहखातेदार हुई। वादीनी की माता बद्री बाई के देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा वादीनी की

हिस्से की कृषि भूमि 1/7 का नामान्तकरण संख्या 1476 दिनांक 06.08.2001 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने [illegible] खुलवा लिया। जिसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था तथा नामान्तकरण के कार्यवाही विधिक एवं विधि के अनुसार नामान्तकरण से स्वत: (टाईटल) का निर्धारण नहीं होता इस प्रकार वादीनी उक्त इन्तकाल से पाबन्द नहीं है। प्रतिवादीगण का कब्जा वाद विषयक कृषि भूमि पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से है। मृतक बद्रीबाई वादीनी की माता को वाद विषयक हिस्से 1/7 की सम्पूर्ण पैतृक भूमि का वसीयत प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष मे करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वाद विषयक कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। तथा सम्पूर्ण हिस्सा पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती है। पैतृक सम्पति होना प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब की चरण सं० 2 में स्वीकार किया है तथा संयुक्त परिवार की सम्पति होना भी स्वीकार किया है तथा हिस्सा होना स्वीकार किया है। वसीयत स्वअर्जित सम्पति की जा सकती है पैतृक सम्पति की सम्पूर्ण हिस्सा उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुये करने का अधिकार मृतक बद्री बाई वादीनी की माता को विधिक रूप से प्राप्त नहीं था इस कारण वादीनी उक्त वसीयत से पाबन्द नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में वादीनी की माता बद्री बाई होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादीनी की माता का हिस्सा 1/14 होना अंकित किया है जबकि राजस्व वाद एवं वाद पत्र अनुसार 1/7 हिस्सा होना अंकित है। वादीनी की माता बद्रीबाई द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 1/7 की वसीयत प्रतिवादीगण के पक्ष में होना संदिग्ध है वसीयतकर्ता की आयु वसीयत के समय 72 वर्ष होना अंकित किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा वैसे भी आयु का निर्धारण 60 वर्ष पश्चात सोचने समझने में असमर्थता रहने के कथन को स्वीकार किया है। बद्रीबाई मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने, बीमार रहने के कारण पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा परित्याग कर पीहर में रखा हुआ था वरना स्वस्थ व्यक्ति का किसी भी प्रकार से परित्याग नहीं किया जाता है। जिसका फायदा प्रतिवादीगण द्वारा उठाकर सोचने, समझने में असमर्थ रहते हुये गांव के दो मौतबिरान गवाहान बनाकर वसीयत का निष्पादन करवा लिया गया। यदि बद्री बाई स्वस्थ रहती अथवा मानसिक रूप से स्वस्थ होती तो इसके लिये स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सक का प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अभाव में वसीयत संदिग्ध प्रमाणित है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक नजीर 2010 पार्ट (2) आर ए डब्लू पेज नं0 1491 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा–3 एवं 68 के अनुपालना में जंहा वसीयत में अभिसाक्ष्य परिस्थितियो की दृष्टि से अस्वाभाविक, अधिसंभावी या अनुचित या यह प्रतीत होता हैं कि वसीयत में इच्छा पत्र में छोड़ी हुई सम्पति वसीयतकर्ता की स्वतंत्र ईच्छा या विवेक परिणाम नहीं है तो न्यायालय उस वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियो मे घिरा मान सकता है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियो में वाद विषयक सम्पत्ति में निष्पादित वसीयत संदिग्ध प्रमाणित होती है। वाद विषयक सम्पत्ति के मूल पुरुष भवानीशंकर के पुत्र दानमल द्वारा वाद पत्र में दर्शित सम्पति कुल भूमि 268 बीघा का वाद सिलिंग में अधिगृहित भूमि को बचाने के लिये बद्री बाई का युनिट मानकर एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को आधार मानकर वाद न्यायालय में जेरकार रहा था जो आर आर डी 1980 पेज 256 दानमल स्टेट के नाम से निर्णीत हुआ है इस प्रकार वाद विषयक सम्पत्ति पुश्तैनी होने का प्रमाण है।

वादीनी ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र में अंकित अभिवचनो को सत्य प्रकट होना स्वीकार किया है एवं जिरह में वाद विषयक सम्पत्ति के मूल पुरुष भवानी शंकर होना एवं उनसे कृषि भूमि आना इस प्रकार पुश्तैनी होना प्रकट किया है एवं साथ ही बद्रीबाई का स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज दानमल भाई पीहर पक्ष द्वारा कराना अंकित किया है। पैतृक सम्पत्ति वादीनी की माता बद्रीबाई को उसके पिता से प्राप्त होना उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी अधिकार बंटवारा प्राप्त करने का एवं अधिकार घोषणा का अनुतोष अधिकार देता है। पुत्रीया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार यदि पीहर मे अपने पिता के पास या भाईयो के पास रहने पर भी अपना अधिकार सुरक्षित रख सकती है तथा पिता हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन न्यायिक निर्णयो के अनुसार पिता संशोधन से पूर्व अथवा बाद में मरने की स्थिति में अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है के बराबर समान सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी रहती है। इस प्रकार माता बद्री बाई की वारिस वादीनी चन्द्रकला नियमानुसार हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अध्याय 4 धारा 31 की अनुसरण में पुत्री की पुत्री प्रथम श्रेणी की वैधानिक वारिस मानी गई है। इस प्रकार वादीनी का वाद प्रथम दृष्या ही डिक्री किया जाकर स्वीकार किये जाने योग्य है। विकल्प में यदि उपरोक्त तथ्यात्मक कानूनी बिन्दू को किसी कारण वश प्रभावित नहीं भी माना जाता है तो भी वादीनी उसकी माता 1/7 हिस्से की सम्पूर्ण हिस्से को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 1/14 हिस्से को प्राप्त करने की न्यायगत अधिकारी है। वाद पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरे प्रस्तुत है, जो निम्न प्रकार हैं :– RLW 2010 (2) PAGE 1491 S.C., RRD 1984 PAGE 862, RRD 1980 PAGE 256, RRD 1993 PAGE 703, उत्तराधिकारी अधिनियम पेज 83, 80, 85, 86, 2022 (1) DNJ S.C. PAGE 187, 2017 DNS S.C. PAGE 262, सुप्रिम कोर्ट सिविल रेफरेन्स पेज –281 से 292

वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस अवगत करवाया कि वादी ने प्रस्तुत दावा इस आधार पर किया है कि वाद विषयक भूमि मे वादी की माता श्रीमती बद्री बाई का 1/7 हिस्सा है। बद्री बाई का देहान्त हो गया। उनके 1/7 हिस्से की भूमि वादिया उसकी पुत्री होने से प्राप्त करने की अधिकारीणी है इस हेतु अधिकार घोषणा एव बंटवारे का दावा पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने बद्री बाई का देहान्त दिनांक 29.07.2001 को होने के उपरान्त उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ओर उक्त 1/7 हिस्से की भूमि अपने नाम खाते दर्ज करा ली

इन्तकाल नम्बर 1476 दिनांक 06.08.2001 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम खाता दर्ज हो गयी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का बद्री बाई की 1/7 हिस्से की भूमि पर कोई हक नही है। वादिया ने भुमि पर ...ा छोडने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने उक्त भूमि बद्री बाई द्वारा उनके पक्ष में वसीयत करना कहा ...दनी स्वभाविक उत्तराधिकारी होने से 1/7 हिस्से की खातेदार होने की घोषणा कराने व 1/7 हिस्से का बंटवारा कराने की अधिकारीणी है। वादिया ने दावे मे यह भी कहा कि बद्री बाई को वसीयत करने का अधिकार नही था। प्रतिवादीगण के पक्ष मे कोई वैध वसीयत नहीं की है भूमि पैतृक होने से बद्री बाई को वसीयत करने का अधिकार नही था तथा आगे कहा है कि शांति बाई ने अपने 1/7 हिस्से का हस्तांतरण प्रतिवादी देवीलाल द्वारकालाल, जगदीश व गिर्राज को कर दिया है। वाद विषयक भूमि में वादनी का कोई हक व कब्जा नहीं है यह भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है संतोख जी के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र भवानीशंकर जी के खाते दर्ज हुई भवानीशंकर जी का पुत्र प्रतिवादी दानमल है चूंकि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है इस कारण कुल भूमि में 1/2 हिस्सा भवानीशंकर जी का तथा 1/2 हिस्सा दानमल जी का था भवानीशंकर जी के देहान्त के पश्चात उनके 1/2 हिस्से के मालिक उनका पुत्र दानमल व पुत्रिया बद्री बाई, पुष्पा बाई, भूली बाई, शांति बाई एवं सोभाग बाई बनी है इस प्रकार बद्री बाई का उक्त भूमि मे 1/14 हिस्सा था। उनके पति कन्हैयालाल जी ने त्याग दिया था व दुसरी शादी कर ली थी। श्रीमती बद्री बाई 42 वर्ष तक अपने जीवन पर्यन्त अपने पीहर भाई दानमल जी के पास रही है दानमल जी व उनके पुत्र व उनके पौत्रो द्वारा ही श्रीमती बद्री बाई की सेवा बंदी की गयी थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सेवाओं से प्रसन्न होकर श्रीमती बद्री बाई ने अपने हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20 फरवरी-2001 के द्वारा वाद विषयक भूमि के साथ साथ अपनी सम्पति चल अचल सम्पति का मालिक भाई दानमल व उनके पुत्र व पौत्र देवीशंकर, द्वारका, जगदीश एवं गिरजाशंकर को बनाया है। श्रीमती बद्री बाई के देहान्त के पश्चात उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक प्रतिवादी संख्या 1 से 5 निरन्तर अब तक काबिज चले आ रहे है, श्रीमती बद्री बाई का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है बद्री बाई का पुत्र स्वतंत्र कुमार है जिसका देहान्त हो चुका है उनके उत्तराधिकारियो को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण भी दावा चलने योग्य नहीं है। पश्चात स्वतंत्र कुमार के कायम मुकामान को वादनी ने प्रतिवादी संख्या 9,10,11 को स्वतंत्र कुमार के रूप में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 5 अवयस्क जरये वली द्वारा भी यही जवाब पेश हुआ है। प्रतिवादी संख्या 7 भूली बाई ने भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का ही समर्थन किया है। इस प्रकरण में मूल प्रश्न वसीयत का है। आया वाद विषयक भूमि श्रीमती बद्री बाई ने रजिस्टर्ड वसीयत नामे द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष मे वसीयत निष्पादित कर दी थी। आया भूमि संयुक्त परिवार की होने से इसका दावे का क्या असर है। वादिया ने अपने समर्थन मे स्वयं पी.डब्यू. नं.1 चन्द्रकलां के बयान कराये है व दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबदी की नकल पेश की है। जिरह मे वादिया ने यह स्वीकार किया है कि मेरे पिता कन्हैयालाल ने मेरी माता बद्री बाई को छोड़ दिया था तथा दूसरी शादी कर ली थी। तथा पिता ने मेरी माता को घर से जब मे 6-7 साल की थी निकाल दिया था तथा मेरी माता उसके भाई दानमल जी के पास सुवांसा मे रह रही है व देहान्त भी सुवांसा मे ही हुआ था इस प्रकार गवाह की उम्र बयान के समय 68 वर्ष की थी तथा 6-7 साल की उम्र मे ही घर से निकालने की बात कही है इस प्रकार गत 60 वर्षो पूर्व से अपने भाई दानमल जी के पास सुवांसा मे निवास करती थी तथा वहां पर ही भोजन व अन्य कार्य करती थी तथा दानमल जी व उनके पुत्र, पौत्री ही उनकी सेवा वगैरा करते थे तथा आगे कहा कि मै तो साल मे एक या दो बार सुवांसा आती थी आगे कहा है कि भवानीशंकर जी के देहान्त के पश्चात समस्त भूमि दानमल जी के कब्जे मे थी तथा वे ही काश्त कराते थे इसके अतिरिक्त वसीयतनामे पर अपनी माता का व अपने मामा दानमल फोटो होना स्वीकार किया है। आगे बयान किया है कि मै अपनी माता के देहान्त के 12 माह पहले माता से मिली थी जबकि बद्री बाई का देहान्त दिनांक 29.07.2001 को हुआ है। उसके एक वर्ष पूर्व अर्थात् दिनांक 29.07.2000 के पश्चात माता से नही मिली वसीयत दिनांक 20.02.2001 को हुई है अर्थात माता से मिली तब माता स्वस्थ थी बातचीत करती थी इस प्रकार वसीयत के पहले व बाद मे वादिया अपनी माता से नही मिली इस कारण वह यह नही कह सकती है कि यह वसीयत वैध नही है क्योकि उसने तो माता को उसके देहान्त के एक वर्ष पूर्व ही देखा था तथा आगे कहा कि उसे वसीयत की जानकारी नही है। इस प्रकार वादिया ने अपनी जिरह मे वसीयत निष्पादित होने के विपरित कोई बात नहीं की है। वसीयत किस प्रकार वैध नहीं है यह कहा भी वादीनी ने प्रकट नही किया है। जबकि प्रतिवादी के गवाह द्वारकालाल ने अपने सामने बद्री बाई द्वारा वकील साहब से वसीयत तैयार करना कहा है तथा अपने सामने व गवाहो के सामने व सब रजिस्टार के सामने अपना अगूंठा स्वईच्छा से लगाना कहा है तथा वसीयत के गवाह भगवान गोस्वामी व नरेन्द्रपूरी ने भी बद्री बाई को पहचाना व उसी गांव में रहना बद्री बाई ने उनके समक्ष जमीन की वसीयत करना व उक्त गवाहो के सामने बद्री बाई ने अपना अगुंठा लगाना कहा है एवं वसीयत के समय स्वस्थ होना कहा है जिरह में इसके विपरित कोई बात नहीं आयी है। इसके अतिरिक्त वसीयत लिखने वाले वकील साहब योगेश जोशी के भी बयान में पेश हुए है उन्होने अपने बयान मे कहा है कि बद्री बाई के कहने पर मेरे द्वारा वसीयत टाईप करवायी थी टाईप के पश्चात बद्री बाई व सबको वसीयत पढ़कर सुनवायी थी वसीयत के समय बद्री बाई पूर्ण स्वस्थ थी का कथन किया है तथा कहा है कि वसीयत पर मेरे समक्ष बद्री बाई के गवाहान ने हस्ताक्षर किये थे, जिरह मे वसीयत का किसी प्रकार से खण्डन नही हुआ है। इस प्रकार चारो गवाहो से वसीयत सिद्ध है इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत सब रजिस्टार के समक्ष रजिस्टर्ड भी हुई है इस कारण भी वसीयत सही होने का कयास है वसीयत करने का पूरा अधिकार बद्री बाई को था। वसीयत सिद्ध होने बाबत निम्न न्यायिक निर्णय जहां तक 2005 मे पैतृक सम्पति में पुत्रियो का अधिकार देने की बात है बद्री बाई ने वाद विषयक भूमि की दिनांक 20.02.2001 को प्रतिवादी संख्या 1

के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी तथा दिनांक 29.07.2001 को बद्री बाई का देहान्त हो गया था। इस बद्री बाई के देहान्त होने के पश्चात उनके हिस्से की जमीन व सम्पति के मालिक उक्त रजिस्टर्ड वसीयत से तिवादी संख्या 1 से 5 बन चुके थे तथा 2001 मे ही भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते लग चुकी थी। इस धिकार 2005 के संशोधन होने के पूर्व ही बद्री बाई की सम्पति जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते लग चुकी थी तथा कब्जा भी प्रतिवादीगण का चला आ रहा था। 2005 के संशोधन के प्रोविजनो में कहा है कि भूमि का हस्तातंरण व बंटवारा 2005 के एक्ट के आने के पूर्व ही हो गया हो तो फिर इस संशोधन का लाभ पुत्रियों को नहीं मिलेगा। इस आधार पर वादनी को उक्त सम्पति में भी कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादिया स्वयं के पास 100 बीघा जमीन होना अपने बयान मे कहती है तथा बद्री बाई 60 साल पूर्व से अपने भाई दानमल जी के पास रहना तथा उनके व उनको पुत्रों पोत्रो द्वारा बद्री बाई की सेवा करना सिद्ध है। इस कारण भी उक्त वसीयत स्वभाविक एवं सही है। इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत बद्री बाई द्वारा सब रजिस्टार साहब के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत की रजिस्टी करवायी है,। रजिस्टर्ड वसीयत का सही होने का क्यास है। वादी ने अपनी लिखित बहस में यह निवेदन किया कि भूमि पैतृक है। इस कारण वादिया की माँ श्रीमति बद्री बाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं है। वास्तव में कानून यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में केवल पुत्रों को ही पैतृक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार था। इस बाबत धारा 6 में स्पष्ट उल्लेख है। लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवन काल में कोई हक नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद ही वह मालिक बनती है। इस बाबत् प्रतिवादी ने ए.आई.आर. 1984 सुप्रीम कोर्ट 1234 पेश की है, जिसमें पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, उसका उल्लेख है। उक्त न्यायिक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पिता के खाते में 100 बीघा भूमि है, उसके तीन लड़के व तीन लडकिया व माता है, भूमि यदि पैतृक है तो उक्त 100 बीघा में पिता व पुत्र का बराबर का हिस्सा होगा, अर्थात् प्रत्येक 25 बीघा भूमि लेने के अधिकारी होंगे। इस प्रकार पिता के खाते में केवल 25 बीघा भूमि मानी जावेगी। पिता के देहान्त के पश्चात उक्त 25 बीघा भूमि का पुत्र व पुत्रियों में विभाजन होगा। इस प्रकार भवानीशंकर जी के एक पुत्र दानमल जी है। उक्त सम्पत्ति पैतृक होने से 1/2 हिस्सा दानमल जी की व 1/2 हिस्सा भवानीशंकर जी का है । भवानीशंकर जी के देहान्त के बाद भवानीशंकर जी के 1/2 हिस्से में पुत्र दानमल व 5 पुत्रियाँ बराबर की हकदार होती है। इस प्रकार पिता से पुत्री को भूमि मिलती है, वह भूमि पैतृक नहीं होती है। पुत्री की भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। इस बाबत न्यायिक निर्णय भी प्रतिवादीगण ने पेश किये है। जहां तक सन् 2005 में पैतृक भूमि में पुत्रियों को भी हक देने का संशोधन किया है, इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि इससे पहले पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। पुत्रियों को प्राप्त सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी। सन् 2005 में हुए संशोधन का भी वादिया कोई लाभ नहीं ले सकती है। इसका कारण यह है कि सन् 2005 में धारा 6 में संशोधन हुआ है। उक्त संशोधन के प्रोविजनो में यह अंकन हुआ है के दिनांक 20.12.2004 के पूर्व यदि बंटवारा हो गया हो, भूमि का अन्तरण हो गया हो या पुत्री का अधिकार समाप्त हो गया हो, तो इस संशोधन से पुत्रियों के उत्तराधिकारियों को कोई हक नहीं मिलेगा। चूंकि वसीयत दिनांक 20.02.2001 को हुई है तथा वादिया की माता का देहान्त 29.07.2001 को हो चुका है। माता के देहान्त के पश्चात् जो नामान्तकरण खुला वह बाद जांच वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 नाम खुला है। वसीयत रजिस्टर्ड है तथा तहसीलदार साहब ने सम्पूर्ण जांच कर वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण खोला है। इस बाबत वादी ने कभी भी आपत्ति नहीं की। इस प्रकार वादिया की माता का 2005 के पूर्व, देहान्त होने तथा रजिस्टर्ड वयीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उक्त भमि के मालिक व खातेदार बन चुके है। इस कारण सन् 2005 के संशोधन का दिया को कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा उक्त संशोधन प्रतिवादीगण के हकों के विपरीत नहीं होगा। चुंकि सम्पत्ति व्यक्तिगत है, इस कारण बद्री बाई को वसीयत करने का पूर्ण औधिकार था। इसके अतिरिक्त धारा 63 उत्तराधिकार अधिनियम के आधार के अनुसार प्रतिवादीगण ने वसीयत को पूर्ण रूप से सिद्ध कियां है तथा वसीयत के सम्पूर्ण गवाहों को न्यायालय में पेश किया है, जिन्होंने उक्त वरसीयत को नियमान्सार सिद्ध किया है। जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे वसीयत संदिग्ध हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया है कि वसीयत के लिये एक अटेस्टेंड विट्नेस पेश होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने तीन अटेस्टेंड विटनेस अपनी साक्ष्य में पेश किये है। जहां तक वसीयतकर्ता बद्री बाई का मानसिक रुप से स्वस्थ या अस्वस्थ होने का प्रश्न है, इस बाबत वादिया ने अपने जवाब में कोई कथन नहीं किया, साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया, बल्कि वादिया ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि मैं बद्री बाई मेरी माता से मृत्यु के एक वर्ष पूर्व मिली थी, उस वक्त वह सब काम करती थी, अर्थात् वह पूर्ण रुप से स्वस्थ थी, अस्वस्थ होने का कोई कथन जिरह में नहीं कहा। इसके अतिरिक्त बद्रीबाई की पूरे जीवनकाल सेवा व गुजारा प्रतिवादीगण ने किया था। इस कारण उक्त वसीयत पूर्ण रुप से व्यवहारिक है। वादिया स्वयं सम्पन्न है। उसके 100 बीघा जमीन है । इस कारण वसीयत बाबत् वह किसी प्रकार की आपत्ति लेने में सक्षम नहीं है। वादिया बद्री बाई वसीयत करने में सक्षम नहीं थी, यह बात सिद्ध करने में पूर्ण रुप से असफल रहे है, जबकि प्रतिवादीगण ने यह तथ्य पूर्ण रुप से सिद्ध किया है कि वसीयत के समय बद्री बाई पूर्ण रुप से स्वस्थ थी तथा स्वेच्छा से उसने वसीयत की थी। सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का बद्री बाई को पूर्ण अधिकार था । इस बाबत् इसके विपरीत कोई कानून नहीं है। वादी द्वारा जो कानूनी नजीरें पेश की है, वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है। इस कारण सम्पूर्ण पत्रावली के मनन करने के पश्चात् वादी का दावा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों पर गौर करने से वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है इस कारण वादनी का अधिकार घोषणा एवं बंटवारे का दावा मय खर्चा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे एवं बहस के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की । जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। RRD 2016 PAGE 280,

वाद का तनकी पार निर्णय निम्नानुसार है:–

1. **आया वादीनी विवादित आराजी में से 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित करवाकर बंटवारा प्राप्त कर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त कर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था। वादिनी चन्द्रकला बद्रीबाई की पुत्री है एव बद्रीबाई का एक पुत्र स्वतंत्र कुमार था। जिसकी मृत्यु हो जाने पर स्वतंत्र कुमार के वारिसान् को प्रतिवादी बनाया गया। वादिनी की माता बद्रीबाई, पुष्पाबाई,भूलीबाई व शान्तिबाई भवानी शकंर जी की पुत्रियॉ है तथा दानमल भवानी शंकर जी का पुत्र है एवं देवीशंकर, द्वारकालाल भवानीशंकर के पौत्र है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि थी भवानीशंकर जी की मृत्यु 1958 होने के पश्चात भवानीशंकर जी की भूमि में 1/7 हिस्से की खातेदार है जिस पर बद्रीबाई का 1/7 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं बद्री बाई अपने 1/7 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपज का लाभ लेती रही हैं। वादीनी की माता बद्री बाई का देहान्त दिनांक 29/07/2001 को हो जाने के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् बद्री बाई की 1/7 हिस्से की मालिक व सहखातेदार वादीनी बन गई हैं। वादीनी की माता बद्री बाई के देहान्त पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की माता के 1/7 हिस्से पर नाजायज कब्जा कर लिया हैं एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने चुपचाप गलत तरीके से वादीनी की माता के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि का इंतकाल संख्या–1476 दिनांक 06/08/2001 से अपने नाम खुलवा लिया हैं, जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अपने 1/7 हिस्से की भूमि का बंटवारा करने व जमीन पर कब्जा छोडने को कहा तो उन्होने बंटवारा करने से मना करते हुऐ जाहिर किया।

दौराने साक्ष्य प्रतिवादी प्रतिवादीगण ने अवगत कराया कि बद्रीबाई को अपने पति द्वारा त्याग देने के पश्चात से ही बद्रीबाई अपने पीहर में अपने भाई दानमल जी के पास गत 42 वर्षो से निवासरत थी एवं बद्रीबाई के भाई दानमल एवं दानमल में पुत्रो द्वारा ही सेवाशुषा की जिससे खुश होकर बद्रीबाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20 फरवरी–2001 के द्वारा वाद विषयक भूमि के साथ साथ अपनी सम्पति चल अचल सम्पति का मालिक भाई दानमल व उनके पुत्र व पौत्र देवीशंकर, द्वारका, जगदीश एवं गिरजाशंकर को बनाया है। श्रीमती बद्री बाई के देहान्त के पश्चात उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक प्रतिवादी संख्या 1 से 5 निरन्तर अब तक काबिज चले आ रहे है, श्रीमती बद्री बाई का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। दौराने साक्ष्य प्रतिवादी जिरह में द्वारकालाल ने वाद विषयक भूमि का सिलिंग का केस होना अवगत कराया, जिसमें बद्री बाई व अन्य उत्तराधिकारी पक्षकार थे व युनिट्स बने थे। जो की आरआडी 1980 पेज नं. 256 अनुसार दानमल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.02.1980 है में भी बद्रीबाई को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा एवं साक्ष्य दस्तावेज एवं बयानात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाद विषयक भूमि भवानीशंकर जी की मृत्योपरान्त बद्रीबाई को प्राप्त हुई है उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में दौराने निर्णय बद्रीबाई को युनिट मानकर 1/7 हिस्से का खातेदार माना गया है इस प्रकार उक्त भूमि बद्रीबाई की Absolute Property की श्रेणी में आती है। जिस पर बद्रीबाई को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त थे। 1/7 हिस्से पर बद्रीबाई को स्वतन्त्र एवं पूर्ण अधिकार प्राप्त थे एवं इन अधिकारों का प्रयोग कर उसके द्वारा वसीयत की गयी थी, फलस्वरूप वाद वर्णित भूमि Intestate अर्थात निर्वसीयत नहीं मानी जा सकती। बद्रीबाई ने अपने भाई दानमल व उनके पुत्र व पौत्र देवीशंकर, द्वारका, जगदीश एवं गिरजाशंकर की सेवा श्रुषा से खुश होकर अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति की वसीयत उनके नाम कर दी गई। उक्त वसीयत नामे के आधार पर उक्त वाद विषयक भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हुई। वसीयतनामे के आधार पर बद्रीबाई की मृत्यु पश्चात बद्रीबाई के हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 घोषित हो जाने के पश्चात उक्त हिस्से पर बद्रीबाई का अधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार वादिनी उक्त वाद विषयक भूमि में 1/7 हिस्से पर खातेदार घोषित करवाकर बटवारा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। वादिनी के कथनानुसार यदि यह वसीयत ही अवैध थी तो वादिनी को प्रथम दृष्टया उक्त वसीयतनामा एवं वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को अवैध घोषित करवाये जाने हेतु चाराजोही करना चाहिए था। किन्तु उक्त वसीयतनामा एवं नामान्तकरण वर्तमान में प्रभावी है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

2. **आया वादीनी उनके हिस्से में आने वाली 1/7 हिस्से की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था। वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा एवं साक्ष्य दस्तावेज एवं बयानात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाद विषयक भूमि भवानीशंकर जी की मृत्योपरान्त बद्रीबाई को प्राप्त हुई है उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में दौराने निर्णय बद्रीबाई को युनिट मानकर 1/7 हिस्से का खातेदार माना गया है इस प्रकार उक्त भूमि बद्रीबाई की Absolute Property

की श्रेणी में आती है। जिस पर बद्रीबाई को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त थे। 1/7 हिस्से पर बद्रीबाई को स्वतन्त्र एवं पूर्ण अधिकार प्राप्त थे एवं इन अधिकारों का प्रयोग कर उसके द्वारा वसीयत की गयी थी, फलस्वरूप वाद वर्णित भूमि Intestate अर्थात निर्वसीयत नही मानी जा सकती। बद्रीबाई ने अपने भाई दानमल व उनके पुत्र व पौत्र देवीशंकर, द्वारका, जगदीश एवं गिरजाशंकर की सेवा श्रुषा से खुश होकर अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति की वसीयत उनके नाम कर दी गई। वाद वर्णित भूमि पर अब वादिनी की माता बद्रीबाई का कोई हक अधिकार नही रहने से वादिनी क्षति पुर्ति प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

3. **आया स्वर्गीय श्रीमती बद्री बाई (वादीनी की माँ) परित्याग करके श्री कन्हैयालाल द्वारा अन्य शादी करने से विवादित भूमि पर कोई हिस्सा निहित हैं**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादिनी के बयानो पर जिरह के दौरान श्री कन्हैयालाल ने ग्राम लेसरदा में अयोध्याबाई से दुसरा विवाह करना स्वीकार किया है। किन्तु प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहे है कि श्री कन्हैयालाल के दुसरे विवाह से इस वाद विषयक प्रकरण पर क्या प्रभाव पडेगा। अतः यह तनकी वादिनी के बयानो की जिरह में अंकित तथ्य कि श्री कन्हैयालाल ने ग्राम लेसरदा में अयोध्याबाई से दुसरा विवाह किया है के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

4. **आया बद्री बाई को पुत्र वधु एवं लडकियों को पक्षकार नहीं बनाने से वाद चलने योग्य नहीं हैं?**

इस तनकी को सिद्व करने का अधिकार प्रतिवादी पर था। वादिनी द्वारा वाद में बद्रीबाई के पुत्रवधु एवं लडकियो को पक्षकार बनाये जाने से यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

5. **आया स्वर्गीय बद्री बाई द्वारा अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने से वाद खारीज योग्य हैं**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा एवं साक्ष्य दस्तावेज एवं बयानात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाद विषयक भूमि भवानीशंकर जी की मृत्योपरान्त बद्रीबाई को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में भी दौराने निर्णय बद्रीबाई को युनिट मानकर 1/7 हिस्से का खातेदार माना गया है इस प्रकार उक्त भूमि बद्रीबाई की Absolute Property की श्रेणी में आती है, जिस पर बद्रीबाई को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त थे। वादिनी ने भी अपने जवाब एवं बयानो में स्वीकार कर कथन किया कि वादिनी अपने मामा के घर अपनी माता से एक वर्ष में एक बार मिलने आती थी, बद्रीबाई की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व वादिनी अपनी माता से मिलने आई। बाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत वसीयत नामा में बद्रीबाई द्वारा अंकित किया कि मेरी सेवा बंदगी मेरे बडे भ्राता दानमल जी एवं उनके लडके एवं पौत्र यानि मेरे भाई एवं भतीजा सेवा बंदगी करते चले आ रहे है तथा भविष्य में भी मुझे आशा एवं उम्मीद है कि मेरी सेवा बंदगी इसी प्रकार करते रहेंगे तथा मेरे मरने के बाद मेरा कियाकर्म भी करेंगे, इसलिए मै इनकी सेवाओ से प्रसन्न होकर मेरे शामलाती खाते की कृषि भूमि की वसीयत अपनी स्वयं की स्वेच्छा से दानमल जी तथा देवीशंकर , द्वारकालाल, जगदीश व गिरजाशंकर के हक में करती हूँ। उक्त वसीयत नामे के आधार पर उक्त वाद विषयक भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के खाते दर्ज हुई। बद्रीबाई द्वारा उक्त वसीयत स्वैच्छा से पूर्ण जानकारी के साथ की गई थी जिसे प्रतिवादीगण ने वसीयतनामा में दर्ज गवाह एवं वसीयत निष्पादनकर्ता अभिभाषक के बयानो के प्रमाणित किया है उक्त वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत होने से स्वतः ही प्रमाणित है कि वसीयतकर्ता ने पूर्व होश हवास में वसीयत का स्वेच्छा से निष्पादन करवाया है। वादिनी के कथनानुसार यदि यह वसीयत ही अवैध थी तो वादिनी को प्रथम दृष्टया उक्त वसीयतनामा एवं वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को अवैध घोषित करवाये जाने हेतु चाराजोही करना चाहिए था। किन्तु उक्त वसीयतनामा एवं नामान्तकरण वर्तमान में प्रभावी है। बद्रीबाई द्वारा अपने खाते में दर्ज भूमि पर अपने जीवनकाल में किसी प्रकार हक अधिकार अथवा बटवारा बाबत कोई विवाद हुआ हो अथवा कोई वाद जैरकार रहा हो ऐसा कोई तथ्य वाद में प्रस्तुत नही किया गया है एवं बद्रीबाई द्वारा स्वेच्छा से अपने खाते की भूमि को अपने भाई दानमल एवं दानमल के पुत्र पौत्रो को वसीयत कर अपने जीवनकाल में ही सम्पति पर हक निर्धारित करने से वादिनी का वाद विषयक भूमि पर कोई अधिकार नही रहता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व 2005 के अधिनियम सं. 39 की धारा 3 द्वारा (9.9.2005 से) धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित धारा 6 (1) में यह वर्णित किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के प्रारम्भ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री –(क) जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है, (ख)सहदायिकी सम्पति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती, (ग) उक्त सहदायिकी सम्पति के सम्बन्ध में पुत्र के समान ही दायित्वो के अधीन होगी और हिन्दु मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मलित है। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्यसंक्रामण को , जिसके अन्तर्गत सम्पति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी।

इस प्रकरण में बद्रीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 20.2.2001 की है जिसका रिकार्ड में अगल क 6.8.2001 को जर्ये नामान्तकरण सं0 1476 के किया गया है यह वसीयती व्यय दिनांक 20 बर 2004 से पूर्व निष्पादित किया जाकर दर्ज रिकार्ड हो चुका है। वादिनी द्वारा अपनी सम्पति की यत दिनांक 20.02.2001 को ही प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को कर दिये जाने से हिन्दु उत्तराधिकारी धनियम (संशोधिन) 2005 के अन्तर्गत वादिनी का अधिकार सिद्व नही होता है। अतः उक्त तर्कों वादी विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

नुतोष – वादिनी प्रकरण में बद्रीबाई की सम्पति पर अपना अधिकार सिद्व करने में असफल रही है ऐसी थति मे वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है ।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास हरविन्दर डी. सिंह , आर०ए०एस०

चन्द्रकला आयु 52 वर्ष पत्नि श्यामबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
.......वादी

बनाम

1. दानमल आ० भवानीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी मृतक के कायम मुकामान
   1/1. द्वारकाबाई पुत्री दानमल पत्नि हरीशचन्द जाति ब्राहम्ण नि० सांगोद तह० सांगोद
   1/2. राजेश पुत्री दानमल पत्नि श्यामसुन्दर जाति ब्राहम्ण नि० कोटा
2. देवीशंकर आ० दानमल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी मृतक द्वारा
   2/1. श्रीमति कला विधवा श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह० तालेडा
   2/2. श्रीमति राजू पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि० सुंवासा तह० तालेडा
   2/3. रिंकू पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि० सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी
   2/4. शालु पुत्री श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि० सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी
   2/5. श्री गोरव पुत्र श्री देवीशंकर जाति ब्राहम्ण नि० सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी
3. द्वारकालाल आ० दानमल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी
4. जगदीश आ० द्वारकालाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा तह० तालेडा जिला बून्दी
5. गिरजाशंकर आ० देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा जर्ये संरक्षक पिता देवीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुंवासा
6. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नि भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के०पाटन जिला बून्दी
   6/1. रामकिशन शर्मा पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के०पाटन
   6/2. विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के०पाटन
   6/3. गीता बाई पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तहसील के०पाटन
   6/4. भैरूलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह० के०पाटन
   6/5. अनुराग शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह० के०पाटन
   6/6. आशीष शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह० के०पाटन
   6/7. विमला बाई पत्नि हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी लेसरदा तह० के०पाटन
7. भूलीबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नि बद्रीलाल ब्राहम्ण नि० अरण्डखेडा तह० लाडपुरा कोटा
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिली बून्दी।
9. श्रीमाति स्नेहा पुत्री स्वतंत्र कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 2 बी 1 रंगबाडी विस्तार योजना कोटा तह० लाडपुरा कोटा

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89 व 183 आरटी एक्ट

06/दावा/2022(2002/00006)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री रविदत्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

मौजा.............................. मुबलिक................................. बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय शुद्ध व शरह......................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 15 माह 04 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा